न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :– कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 344/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
देवाराम पुत्र शिवदानराम जाति जाट निवासी रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

आदेश **दिनांक 22.12.2017**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– 1. प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 221/1 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/2 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नांम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जो जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 वास्ते संबूत साथ में पेश है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 221/1 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/2 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा पर इस वर्ष मूंग की काश्त की और मूंग की फसल को कॉपरेटिव सोसायटी में बैचने हेतु मैनेजर साहब से सम्पर्क किया तो मैनेजर साहब ने बताया कि आप हल्का पटवारी जी से अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी व गिरदावरी की नकल प्राप्त कर ई मित्र पर टोकन प्राप्त कर लेवे तो प्रार्थी ने हल्का पटवारी जी से सम्पर्क किया और जमाबन्दी व गिरदावरी की नकल देने हेतु निवेदन किया तो हल्का पटवारी जी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि आपका नाम जमाबन्दी में देवीराम नाम लिखा हुआ है, आप मूंग की फसल नही बैच सकते हो, आप राजस्व रेकर्ड में नाम संशोधन कराकर ही अपनी मूंग की फसल को

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कॉपरेटिव में बैच सकते हो, आपका बैंक खाता भी देवाराम के नाम से खुला हुआ है, तो प्रार्थी ने तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 30.10.2017 को वकील नियुक्त कर पुरानी राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की नकलों को प्राप्त किया तो जानकारी हुयी कि जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में प्रार्थी का नाम देवाराम सही दर्ज किया हुआ है तथा उसके आगे की जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में देवाराम की जगह पेन मिस्टेक से देवीराम नाम लिख दिया गया है। जो एक लिपीकीय त्रुटी है। प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में देवाराम पुत्र शिवदानराम नाम चला आ रहा है, लेकिन उसके आगे की जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में देवाराम की जगह देवीराम नाम लिख दिया गया है। जो एक लिपीकीय त्रुटी है, राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का नाम संशोधन करने से पूर्व पक्षकार को नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। पटवारी को किसी की खातेदारी हटाने का कोई अधिकार नही है। अतः बिना अधिकार क्षैत्र के किया गया राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन निरस्त किये जाने योग्य है एवं उस परिवर्तन से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश से या बैचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। मौजूदा मामले मे न तो राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का निर्णय या आदेश तथा न कोई म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अतः पटवारी द्वारा बिना आधार एवं अनाधिकृत तौर से किये गये परिवर्तन को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 221/1 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/2 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा की जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 की रेकर्ड दुरूस्ती की जाकर देवीराम

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के स्थान पर देवाराम नाम रेकर्ड में दर्ज करने का तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी उपस्थित हुए और उनकी तरफ से जवाब पेश किया गया जो जवाब इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 221/1 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/2 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा आयी हुयी है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 वास्ते सबूत साथ में पेश है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं साबित करे। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में जमाबन्दी सवंत् 2046 से 2049 में खातेदार देवाराम पुत्र शिवदान का नाम दर्ज है उसके आगे की जमाबन्दी चौसाला संवत् 2050 से 2053 में देवाराम की जगह देवीराम लिखा हुआ है जो एक पैन मिस्टेक है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में शुद्धि किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान के वकुलाय की बहस सुनी गयी, वकुलाय ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 221/1 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/2 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा की जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 में प्रार्थी का नाम देवाराम दर्ज किया हुआ है आगे की जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 में प्रार्थी का नाम देवाराम की बजाय देवीराम दर्ज कर दिया गया। जबकि राशनकार्ड, पहचानपत्र, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम देवाराम पुत्र शिवदानराम दर्ज किया हुआ है। अतः प्रार्थी का लिपिकीय भुलवश गलत नाम की शुद्धी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 221/1 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा,

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 306/2 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम देवीराम की जगह देवाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा (जोधपुर)

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा (जोधपुर)

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा